आदेश

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र 152 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2017 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी के आदेश 16.12.2004 विरासत नामान्तकरण संख्या 113 वाके ग्राम मूडिया तहसील रैणी मे पारित किया गया। जिसमें सहवन से पेज संख्या 03 की दूसरी लाईन में नामान्तकरण संख्या 311 अंकित किया गया है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील के निर्णय के पैरा में सहवन से टंकणीय/टाईपिंग त्रुटि इंतकाल संख्या 311 के स्थान पर इंतकाल संख्या 113 शुद्ध किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रा0पत्र 152 सी0पी0सी0 पर उक्त उनवानी पत्रावली जमा रिकॉर्ड से तलब की गई। मूल अपील रिकॉर्ड पर प्राप्त होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील के निर्णय दिनांक 14.03.2017 पर प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा निर्णित विरासत इंतकाल संख्या 113 दर्ज है। मूल अपील में भी इंतकाल संख्या 113 ही अंकित किया गया है एवं प्रार्थी वकील द्वारा अनुतोष भी विरासत इंतकाल संख्या 113 में त्रुटि सुधार का चाहा गया है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2017 में भी विरासत इंतकाल संख्या 113 लिखा हुआ है। परन्तु निर्णय के लेखन में टंकणीय त्रुटि के कारण सहवन से इंतकाल संख्या 311 दर्ज हो गया है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 152 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2017 में संशोधित नोट अंकित किया जावे कि इंतकाल संख्या 311 के स्थान पर 113 पढा जावे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय को संशोधित आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली फैसल शुमार होकर तारीख पेशी से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

22/08/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/13/12	06–06–2012	14–03–2017

1–श्रीमती माया पुत्री स्व0 रामचरण धर्मपत्नि विशम्भर दयाल जांगिड ब्राहमण हाल वासी सरकारी बंगला नं0 5 आफिसर कालोनी गुलभाई का टेकरा अम्बावाडी अहमदाबाद,गुजरात

--- अपीलान्ट

बनाम

1–दिनेश पुत्र स्व0 रामचरण जागिड ब्राहमण
2–प्रहलाद पुत्र स्व0 रामचरण जागिड ब्राहमण
3–अंगूरी बेवा रामचरण जाति जांगिड ब्राहमण निवासी तहसील राजगढ
4–लक्ष्मी पुत्री स्व0 रामचरण पत्नि जगमोहन हाल निवासी ए–9 औम परमात्मा सोसायटी मुनश्पलटी स्कूल के पीछे ईसनपुर अहमदाबाद गुजरात
5–मंजू पुत्री स्व0 रामचरण पत्नि सुरेश हाल वासी चोबेपाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर
6–विष्णु पुत्र स्व0 सोहन लाल पौत्र रामचरण बालिग
7–ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सोहन लाल पौत्र रामचरण नाबालिंग जर्ये सरंक्षक माता
8–चंदो देवी बेवा स्व0 सोहन लाल पुत्रवधू रामचरण हाल निवासी मूडिया(रैणी) राजगढ
9–सीमा पुत्री सोहन लाल पोत्री रामचरण
10–कविता पुत्री सोहन लाल पोत्री रामचरण
11–कल्ली पुत्री सोहन लाल पोत्री रामचरण
12–बबीता पुत्री सोहन लाल पोत्री रामचरण जांगिड ब्राहमण निवासी मूडिया(रैणी) तहसील राजगढ जिला अलवर ––असल रेस्पोडेन्ट
13--तहसीलदार राजगढ लैण्ड होल्डर ––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06–12–2004 नायब तहसीलदार रैणी बाबत इंतकाल संख्या 113 ग्राम मुडिया तहसील राजगढ हाल रैणी

उपस्थितः–

01.श्री सुनील कुमार खण्डेलवाल –वकील अपीलाण्ट
02.श्री रामअवतार शर्मा –वकील रैस्पा0 सं0 2 व 3

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 06–12–2004 जिसके द्वारा विरासत इंतकाल संख्या 113 वाकै ग्राम मुडिया गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। शेष रैस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व ना तो अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया और ना ही मौके पर कब्जे की जांच की गई। अपीलान्ट के पिता स्व0 रामचरण पुत्र नानगराम जाति जांगिड ब्राहमण के जायज वारिस काबिज जायदार की सही प्रकार से जांच नही की गयी और बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए अपीलाधीन आज्ञा गैर कानूनी एवं असंवैधानिक रूप से पारित किया गया है। रामचरण मृतक पिता अपीलान्ट के 3 पुत्र दिनेश, रैस्पा0 सं0 1,सोहन लाल मृतक जिसके वारिसान रैस्पा0 संख्या 6 ला0 12

अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

एवं प्रहलाद रैस्पा0 सं0 2 तथा अंगूरी विधवा पत्नि रैस्पा0 सं0 3 तथा तीन पुत्रिया अपीलान्ट स्वयं एवं लक्ष्मी व मंजू रैस्पा0 सं0 4 व 5 वारिसान काबिज जायदाद है। जिनके नाम ही इन्तकाल नियमानुसार बहिस्से बराबर दर्ज व स्वीकार होने योग्य था। तहत अदालत ने रैस्पा0 1 ला0 3 व 6, 7 व 9 ला0 12 ने अपने ही नाम अपीलान्ट का तथा उसकी दोनों बहनों का हक व हिस्सा मारने की नियत से दर्ज कर विधि विरूद्व स्वीकार किया है। कानूनन 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को तस्दीक करने का प्रावधान है उसके उपरान्त ही नायब तहसीलदार के समक्ष पेश हो सकता था। लेकिन रैस्पा0 संख्या 1 ने मिलकर अपीलान्ट का हक मारने की नियत से विधि विरूद्व इन्तकाल तस्दीक कराया है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के सदस्य है और अपने पिता के स्वर्गवास उपरांत उनकी चल अचल सम्पत्ति कृषि भूमि पर बहैसियत वारिस काबिज जायदाद काबिज चले आ रहे है। अपीलाण्ट व रेस्पो. का हमारे पिता मृतक रामचरण पुत्र नानगराम की विरासत में समान हक व हिस्सा बनता है और मिन अपीलाण्ट अपने पिता की विरासत में अपना हिस्सा नैतिक व विधिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है। लेकिन तहत अदालत ने वारिसान की सही प्रकार से जांच किए बिना व बिना कोई वारिस प्रमाण पत्र तलब किए अपीलाधीन आज्ञा रेस्पो0 असल से साजबाज होकर अपीलाण्ट व रेस्पो. का हक व हिस्सा समाप्त करने की नियत से पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 06–12–2004 इंतकाल संख्या 113 ग्राम मुडिया उप तहसील रैणी निरस्त किया जाकर मृतक रामचरण की विरासत का इंतकाल अपीलाण्ट व रेस्पो के हक में बहिस्सा बराबर दर्ज व तस्दीक किए जाने की आज्ञा पारित की जावें। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18–12–2011 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावें।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दफा 5 को पेश कर .निवेदन किया कि मृतक रामचरण पुत्र नानगराम जाति जांगिड ब्राहमण के वारिसान पक्षकारान अपील है। अपीलान्ट अहमदाबाद में निवास करती है, जिससे इन्तकाल में उसका नाम नहीं होने की जानकारी रैस्पा0 सभी के द्वारा दिनांक 18–12–2011 को राजगढ आने पर हुई उससे पहले अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। रैस्पा0 दिनेश व रैस्पा0 सं0 6,7,8 जो ग्राम रैणी व मुडिया में रहते है ने बिना किसी अन्य वारिसान को सूचना दिये इन्तकाल दर्ज करा लिया। अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 4 व 5 पुत्रीया स्व0 रामचरण एवं चन्दो बेबा सोहन पुत्रवधू स्व0 रामचरण का नाम इन्तकाल में जानबूझकर दर्ज नही कराया। यह रैस्पा0 नं0 1 दिनेश व 6 व 7 के द्वारा कार्यवाही आपस में मिलकर कार्यवाही कराई गई है। जिससे अपीलान्ट के अधिकारों का उसकी बहिनों के अधिकारों का हन्न हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्व दिनांक 06–12–2004 को इस न्यायालय में दिनांक 23–01–2012 को पेश की है। जो करीब 8 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाण्ट व असल रेस्पो0 मृतक रामचरण पुत्र नानगराम जाति जांगिड ब्राहमण के जायज वारिस काबिज जायदाद है। तथा मिन अपीलाण्ट रामचरण की जायज वो विधिक उत्तराधिकारी पुत्री है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का इन्तकाल संख्या 113 रैस्पा0 ने यह जानते हुए कि रामचरण कि पुत्री अपीलान्ट भी है और जिसका जिसका हिन्दू लॉ के अनुसार मृतक पिता की सम्पत्ति मे हक वो अधिकार है तथा समान हिस्सा की उत्तराधिकारी है के तथ्यो को छुपाते हुऐं तथा बिना मृतक रामचरण के जायज वारिसान की जांच किए तहत अदालत ने दर्ज व स्वीकार किया है उसे उचित नहीं समझतें है। अतः प्रकरण रिमान्ड किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

(11)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार रैणी का आदेश दिनांक 06—12—2004 बाबत इंतकाल संख्या 311 वाके ग्राम मुडिया उप तहसील रैणी जिला अलवर निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रामचरण के जायज वारिसान की जांच कर पुनः इंतकाल निर्णित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14—03—2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर —राज0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

संशोधित आदेश दिनांक 22/8/2022

निर्णय दिनांक 14-3-2017 के पेज सं. 3 की दूसरी लाईन में अंकित इन्तकाल संख्या 311 के स्थान पर इन्तकाल नं. 113 पढ़ा जावे। शेष यथावत रहेगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)